

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
॥ अधिसूचना ॥

क्रमांक 1-16/2011/.....733.....!

पटना, दिनांक.....1.4.14.....2014

संख्या.....733..... / भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—
 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** 1— (i) यह नियमावली “अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
 (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** 1— इस नियमावली में जबतब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो—
 (i) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार सरकार, विभाग से अभिप्रेत है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
 (ii) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग
 (iii) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग
 (iv) ‘नियुक्ति’ प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
 (v) ‘नियत तिथि’ से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि,
 (vi) ‘सदस्य’ से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व एवं पश्चात् से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है, तथा
 (vii) ‘अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति’ से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. **संवर्ग की संरचना** 1— लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी—

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर

4. **संवर्ग बल** 1— संवर्ग बल ऐसा होगा जो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।
5. **भर्ती** 1— (i) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह ‘घ’ कर्मचारियों में से भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

- (ii) सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।
 - (iii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।
 - (iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधसूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
 - (v) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परीवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।
6. अर्हता I— (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटर या उसके समकक्ष होगी।
- (ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।
7. आरक्षण I— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती I— (i) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।
- (ii) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।
9. परीवीक्षा I— प्रत्येक भर्ती परीवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परीवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधिविस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परीवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।
10. विभागीय परीक्षा I— (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्वद द्वारा संचालित की जायगी।
- (ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा

पत्र - 1

सेवा नियमावली - बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली।

पत्र - 2

वित्तीय नियमावली - कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एंड प्रोसिडियोर, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि** ।— कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति, विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।
12. **वरीयता** ।— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

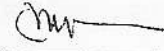
परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं,

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति** ।— (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।
(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
14. **संवर्ग का स्तर** ।— यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। स्थानान्तरण की शक्ति सरकार (अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय) की होगी।
15. **अवशिष्ट मामले** ।— ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।
16. **कठिनाई का निराकरण** ।— सरकार (अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय) समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।
17. **शिथिल करने के शक्ति** ।— जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।
18. **निर्वचन** ।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।— (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।
(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया

गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



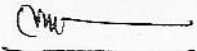
(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 733

पटना, दिनांक 1.4.14

संख्या बिहार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 384 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 733

पटना, दिनांक 1.4.14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ई-गजट (वित्त विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से अनुरोध है कि इसकी 100 (सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

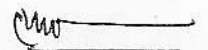


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 733

पटना, दिनांक 1.4.14

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 733

पटना, दिनांक 1.4.14

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

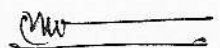


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 733

पटना, दिनांक 1.4.14

प्रतिलिपि:- सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को (नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति) अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

31.3.14

Government of Bihar Minority Welfare Department

Notification

अ०स०क०-०१-१६/२०११

Patna, Dated...०१/०४/२०१४

No.733..... In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and conditions of service of the clerical cadre of the mufasils offices of Minority Welfare directorate,

Bihar Minority Welfare directorate, Clerical Cadre Mufasils Offices
(recruitment and conditions of service) Rules, 2014

1. Short title, extent and commencement:-

- (i) These Rules may be called as the "Bihar Minority Welfare directorate, Clerical Cadre (recruitment and conditions of service) Rules, 2014".
- (ii) It shall extend to whole of the State of Bihar
- (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires :-

- (i) "Government" means Bihar Government, Department means Minority Welfare Department, Bihar
- (ii) "Cadre" means the clerical cadre of the Minority Welfare directorate.
- (iii) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission.
- (iv) "Appointing Authority" means the Director, Minority Welfare directorate.
- (v) "Appointed day" means the date of commencement of these Rules.
- (vi) "Member" means a person appointed in the cadres and includes all the persons appointed in the cadres before commencement of these Rules.
- (vii) "Appointment on compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant dying in harness, as per relevant circulars/instructions.

3. Cadre Structure: - The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows:-

Sl. No.	Name of grades	Level
(a)	Lower Division Clerk	Basic grade
(b)	Upper Division Clerk	First Promotion Level

4. Cadre strength: - The cadre strength shall be such as determined by the Minority Welfare directorate from time to time.

5. Recruitment:-

- (1) 85% posts of L.D.C. shall be filled up through direct recruitment and 15% posts shall be filled up from amongst the eligible Group "D" employees having eligibility for recruitment of LDC. Of the 85% posts for direct recruitment, 10% shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

- (2) All recruitments shall be made to the grade of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.
- (3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April.
- (4) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the appointing authorities concerned. The validity of the merit list shall be one year w.e.f. the date of receipt of recommendation.
- (5) The appointing authority after due scrutiny shall appoint the candidate on probation for two years.

6. Qualification:-

- (1) The minimum educational qualification shall be intermediate or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing.
- (2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

7. Reservation:- Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. Recruitment through promotion:-

- (1) The appointing authority shall prepare the gradation list of eligible group "D" staff.
- (2) The promotion shall be made according to seniority on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. Probation: - Each recruitment shall be on probation for two years and it can be extended for one year in special circumstances by the appointing authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be done only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be removed from the service.

10. Departmental Examination:-

- (1) Department examination shall be conducted by the Board of Revenue.
- (2) There shall be two papers in the departmental examination and it shall be necessary to obtain 40% marks for passing the examination in each paper.

Paper- 1:

Service Rules: - Bihar Service Code, Pension Rules, laws of seniority and promotion, Noting and Drafting and Board Miscellaneous Rules.

Paper - 2:

Financial Rules: - Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, GPF Rules, TA Rules, Insurance Rules.

11. **Confirmation:-** A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period, passing of the departmental examination and passing the Computer eligibility test.
12. **Seniority:-** Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before notification of these Rules shall remain unchanged.
 Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination of concerned recruitment years:
 Provided also that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed through competitive examination in the concerned recruitment year.
13. **Promotion:-** (1) Promotion from basic grade to higher grades may be given on completion of minimum time period (KALAWADHI) as determined by the General Administration Department from time to time and on the recommendation of Department Promotion Committee.
 (2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.
14. **Level of cadre:-**
 The cadre shall be at State level. Minority Welfare directorate shall have power to transfer the service of any employee of the cadre to any Minority welfare office.
15. **Residuary matters:-**
 With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadres shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.
16. **Removal of difficulties:-**
 The Government (Minority Welfare Department) may from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules.
17. **Power to relax:-**
 Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions to these Rules with respect to any person or any grade.
18. **Interpretation:-**
 Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be decided by the Minority Welfare Department whose decisions shall be final.
19. **Repeal & Savings:-**
 - (1) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under such resolutions,

instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor of Bihar

Sd/-

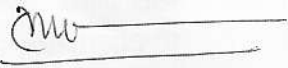
(Amir Subhani)

Principal Secretary to Government

Memo: ..733.....

Patna, dated: 01.04.2014

No. Bihar Minority Welfare directorate, Clerical Cadre Muffasils Offices (recruitment and conditions of service) Rules, 2014 is published English Translation under Governor's authority which shall be recognized under constitution article 384 of section (3) that rule in authorized English Version.


Principal Secretary to Government

1.4.14

instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor of Bihar

Sd/-

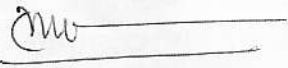
(Amir Subhani)

Principal Secretary to Government

Memo: ..733.....

Patna, dated: 01.04.2014

No. Bihar Minority Welfare directorate, Clerical Cadre Muffasils Offices (recruitment and conditions of service) Rules, 2014 is published English Translation under Governor's authority which shall be recognized under constitution article 384 of section (3) that rule in authorized English Version.


Principal Secretary to Government

1.4.14